न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थितः हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1419 / 2026

गौरव कुमार बनाम् बिहार सरकार

वैशाली थाना कांड संख्या–238 / 2026

अधीन धारा–303(2), 111, 62, 317(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

17-06-2026

वैशाली थाना कांड संख्या–238 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–303(2), 111, 62, 317(5), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **गौरव कुमार उम्र–25 पेसर–भोला सहनी** साकिन–चैनपुर, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री शिवम हरि** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–4 / 5.04.2026 को रात्रि में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूचक घर के अंदर सोया हुआ था तथा घर के बाहर दरवाजे पर उसका स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल रजि० नं–BR06CG7008 लगा हुआ था कि रात्रि करीब 12.45 बजे घर के बाहर कुछ लोगों के होने का आहट पाकर उसका निंद खुला तो वह खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि तीन की संख्या में व्यक्ति इधर–उधर खड़े थे और चौथा व्यक्ति उसके बाईक में चाभी लगाकर खोलने का प्रयास कर रहा है। तब सूचक को लगा कि वे लोग उसकी मोटरसाईकिल को चोरी कर रहे है। सूचक हल्ला करते हुये जैसे ही घर के बाहर निकला तो पाया कि उसका मोटरसाईकिल एक व्यक्ति स्टार्ट कर भागने का प्रयास कर रहा है जो कि सूचक के आने तथा हल्ला होने पर मोटरसाईकिल छोड़कर भाग निकला। जब कि अन्य तीन व्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर भागने लगे जिसे पीछा करते हुये मदरना मस्जिद के समीप मोटरसाईकिल सहित दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जब कि एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़ाये व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना–अपना नाम धर्मवीर कुमार एवं मिथलेश कुमार बताये तथा भागने वाले साथी का नाम रामभारोसे कुमार एवं गौरव कुमार बताये। तब तक स्थानीय पुलिस सूचना पाकर आयी और पकड़ाये दोनों व्यक्तियों एवं उनके पास से बरामद मोटरसाईकिल रजि नं0–BR 06 DR 6042 को पुलिस को सौंप दिया गया। पूर्व में भी सूचक के गाँव में चोरी कि घटना हुई है जिसमे बोलेरो एवं कई मोटरसाईकिल की चोरी हुई है जिसमें उक्त सभी व्यक्ति शामिल थे।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1419/2026

गौरव कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

17.06.2026

और आवेदक का नाम घटनास्थल से गिरफ्तार सह अभियुक्तगण द्वारा लिया गया है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक की मोटरसाईकिल को चोरी करने का आरोप है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08 एवं 09 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 34 से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त राम भरोसे कुमार उर्फ राम भरोसा कुमार उर्फ राम भरोस कुमार द्वारा वैशाली थाना कांड सं0–208/2026 में दिये गये संस्वीकारोक्ति बयान में उसने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्राम मतैया में अपने सहयोगी मित्र गौरव कुमार (आवेदक) और अन्य के साथ मोटरसाईकिल चोरी करने गए थे लेकिन घर वालों के जगे रहने के कारण अन्य साथी पकड़े गए और वह तथा गौरव कुमार (आवेदक) भागने में सफल रहे। प्राथमिकी अनुसार आवेदक का नाम घटनास्थल से गिरफ्तार अभियुक्तगण धर्मवीर कुमार एवं मिथलेश कुमार द्वारा लिया गया है जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.04.2026 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। कांड दैनिकी की कंडिका 29 व 30 से विदित होता है कि उक्त कांड में जप्त मोटरसाईकिल रजि नं0–BR 06 DR 6042 के वास्तविक मालिक उदय शंकर सहनी है जो सह अभियुक्त धर्मवीर कुमार के पिता है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1419/2026

गौरव कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

17.06.2026 अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official